उपायुक्त–सह जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

बंसती देवी
बनाम
पापा साहु वगै0

आदेश फलक तारीख............से...............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–**91/2022–23**

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी बंसती देवी पति श्री जतरु साहु उर्फ जलकु साहु ग्राम–सिरिबेड़ा थाना–बसिया जिला– गुमला के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 46/2021–22 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

उत्तरवादीगण को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा मूल न्यायालय एवं निम्न अपीलीय न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया गया। मूल न्यायालय अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा अपने पारित आदेश में नामान्तरण अस्वीकृत करने का कारण उभय पक्षों की अनुपस्थिति को जिक्र किया गया है जबकि निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित दिवानी मुकदमा लंबित रहने तथा स्वत्व को लेकर विवाद का जिक्र करते हुए अपील अस्वीकृत किया गया है जो विभागीय पत्रांक 4132/रा0 दिनांक 31.12.2020 के अनुरुप नहीं है।

अतः विभागीय आदेश/ निर्देश के आलोक में दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई कर तर्क संगत आदेश पारित करने हेतु वाद भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया को Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

09.02.23
उपायुक्त
गुमला

लेखापित एवं संशोधित

09.02.23
उपायुक्त
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.02.10 11:24:03 +05:30
Location: 192.168.5.117

Scanned with OKEN Scanner